

16/6
24/11/20

(11)

58

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदयजी, मुनाबिल प्रार्थना पत्र आपका व आपका दस्तावेजी
के आधार पर शुद्ध किया जाना उचित है।

[Signature]

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम ~~दुरुस्त~~ ~~की जाती है~~ / ~~जाने की अभियोग की जाती है~~ / ~~की जाती है~~।

उपरोक्त किम्व जाना उचित है।

[Signature]
24/11/2020
तहसीलदार (मू0अ0)
उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

13
राज
[Signature]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंझुनू (राज.)
आदेश :-

दिनांक :- 24/11/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
↓	गुडा हल	2015-78	176	सतु पुत्र शोपाल	सतकीर सिंह सैनी पुत्र शोपाल राम
			179	जानि माली	शोपाल राम जानि माली
				सतु पुत्र शोपाल	सतकीर सिंह सैनी पुत्र शोपाल राम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय व पालना की जावे।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1579-80

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया



को सूचनार्थ।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी